

**मुख्य अभियंता-3 भागलपुर का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग।**

पत्रांक-
प्रेषक,

दिनांक-

ई0 श्रीप्रकाश
मुख्य अभियंता-3

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर।

विषय:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झांझा के अधीन शीर्ष मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (MMGSUY) अन्तर्गत स्वीकृत 02 (दो) अदद पथ के उन्नयन एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर का पत्रांक-306 दिनांक 12.03.2024 महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त 02 (दो) अदद पथ का प्राक्कलन प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। योजना का नाम, प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग तथा प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' के क्रमशः स्तम्भ-2, 4 से 8 एवं 9 में अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त है, जो कि पत्र के परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 04 से 08 में अंकित है।
 3. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
 4. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रावधानित पुल/पुलियों स्थल के अवश्यता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित किया जाये।
 5. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को प्रत्येक माह की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति न समझी जाए।
 7. अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, मुंगेर ऐसे मदों के दर, जो अनुसूचित दर में नहीं हैं, का दर विश्लेषण केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
 8. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अद्यतन अनुसूचित दर पर अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
 9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
 10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।
- अनु0- परिशिष्ट "क" एवं स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन,

ह0/-

मुख्य अभियंता-3

ज्ञापांक- 222

दिनांक- 18.03.24

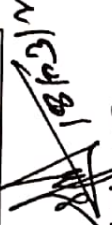
प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, झांझा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता-3

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, झाड़ा के अधीन मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (MMGSUY) अंतर्गत प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत्त पथों की सूची:-

Sl. No.	Name of Scheme	Length (in k.m)	Administrative Approval					T.S Cost (in Lakh)
			Department Ref Lett. No. / Date	Cost. Of Upgradation/ Strengthening (in Lakh)	Cost. Of 5 year Maint. (in Lakh)	Administrative Fund and Contingency Cost (in Lakh)	Total Cost (in Lakh)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Charkapathar To Barad Pichhra	5.500	1090/01.03.24	391.710	61.362	14.724	467.796	469.398
2	Telwa Bazar To Birazpur	4.860	1090/01.03.24	397.111	57.395	14.771	469.277	463.444


Chief Engineer-3
R.W.D, Patna